

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: सं. 24-6(2)स्था/पदो/अभि/2021 9822-28 दिनांक: 29/09/2021

—: आदेश :—

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं. 24-6(2)स्था/पदो/अभि/2021/8767-99 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा श्री सत्यनारायण पंचारिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर (गैर अनुसूचित क्षेत्र) कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2021-22 में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मैट्रिक्स लेवल 11 में पदोन्नति प्रदान कर आदेश क्रमांक सं.3(5)(2)स्था/मंत्रा/अभि/16/2131-2200 जयपुर दिनांक 08.09.2021 द्वारा इनका पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर किया गया था।

श्री सत्यनारायण पंचारिया, सहायक प्रशासनिक द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इनको पदोन्नति परित्याग(फोरगो) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन - जोधपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है।

—sd—
(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन - जोधपुर / बाडमेर ।
4. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
5. श्री सत्यनारायण पंचारिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा:- सहायक निदेशक अभियोजन - जोधपुर ।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर